

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/71615/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/19519/JD

दिनांक: 16-01-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स PROSPER BUILDTECH PVT LTD (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता PLOT NO-GH-04B, SECTOR-10, GREATER NOIDA

तहसील - DADRI, प्लॉट एरिया 20240.00 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया - (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 6 जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER H	23	2	70.65 mt.
TOWER I	23	2	70.65 mt.
TOWER J	23	2	70.65 mt.
TOWER K	23	2	70.65 mt.
COMMUNITY CENTRE	4	0	14.70 mt.
COMMERCIALSHOP 1 TO 6	1	0	3.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स PROSPER BUILDTECH PVT LTD द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 28-01-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री Bhupesh के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Residential के अन्तर्गत वैधता तिथि 31-01-2023 से 30-01-2028 तक 5 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स PROSPER BUILDTECH PVT LTD अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स PROSPER BUILDTECH PVT LTD अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : In view of the recommendation reports of cfo and fso. The NOC is being issued

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(AMAN SHARMA)

[6F3173ACF1282848601D36130C6B4188B05EE040]

31-01-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 31-01-2023
स्थान : LUCKNOW

कार्यालय संयुक्त निदेशक
पत्रांक-34/जे0डी0/फा0स0/मेरठ-16(ईको03)/210

फायर सर्विस

मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांक: मई 11 2017

सेवा में

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स प्रोसपर ब्यूल्डटेक प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04बी0, सेक्टर-10, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित गुप्त हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु रिवाइज्ड मानचित्रों की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
यूआईडी:2016/23071/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5532/डी0डी0

सन्दर्भ:

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।
प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03 ग्रेटर नोएडा श्री शेषनाथ से कराया गया तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांक: 29-04-2017 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद श्री अक्षय रंजन शर्मा द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई प्रस्तुत आख्याओं एवं अभिलेखों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-
भवन की संरचना:- प्लॉट एरिया-20,240.00 वर्ग मी0 है। प्रश्नगत भवन की प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र संख्या:आर-36/जेडी/फा0स0/मेरठ-16 (ईको-3) दिनांक: 03-08-2016 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, वर्तमान में प्रस्तावित आवासीय भवनों का संशोधित एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्र0स0	नाम टावर	तलों का विवरण		भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।		टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।		ऊँचाई मी0।	
		पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
1	टावर-ए0	02बेस0, स्टिल्ट/काम एवं 20	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+20 तल	1296.433	346.153	350.530	288.125	65.450	65.45
2	टावर-बी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+20 तल	403.396	337.146	316.828	290.804	70.600	65.45
3	टावर-सी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+20 तल	376.042	346.153	292.340	288.125	70.600	65.45
4	टावर-डी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	403.396	341.959	316.828	288.125	70.600	70.60
5	टावर-ई0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	439.648	332.952	350.530	275.803	70.600	70.60
6	टावर-एफ	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	439.648	341.959	350.530	288.125	70.600	70.60
7	टावर-जी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	403.396	341.959	316.828	288.125	70.600	70.60
8	टावर-एच0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	376.042	341.959	292.340	288.125	70.600	70.60
9	टावर-आई0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	403.396	341.959	316.828	288.125	70.600	70.60
10	टावर-जे0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 20	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	1296.433	332.952	350.530	278.103	65.450	70.60
11	टावर-के0	-	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	1296.433	341.959	350.530	288.125	65.450	70.60
12	कॉमर्शियल	-	भूतल	-	708.041	-	-	-	04.45
13	कम्यूनिटी	-	भूतल+04 तल	-	1561.344	-	-	-	14.85
14	बेसमेन्ट:-	प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है, जिसमें बेसमेन्ट अपर/लोअर का कवर्ड एरिया-16,755.840 वर्ग मी0 प्रत्येक है।							

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।
ढाँचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी0 का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0। बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0। डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के बाह्य एवं आन्तरिक भाग में 06-06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है जैसा कि मानचित्रों में दर्शाया गया है।

(अभिमत मुद्रा)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
लखनऊ

- 3-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 1.50 प्रत्येक तथा बेसमेंट में 02 अतिरिक्त रैम्प है जिनकी प्लॉर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।
- 4-फायर लिफ्ट:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में 02 अदद लिफ्ट प्रस्तावित है, जिसमें कम से कम 01 लिफ्ट में फायर मैन स्विच लगाकर फायर लिफ्ट के रूप में नामित किया जाता प्रस्तावित है।
- 5-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है, जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निर्माकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।
- 1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,85,000 लीटर क्षमता के दो अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 2-पम्पस:- प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, (हाईड्रेण्टस/स्प्रिंकलर) इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 180 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद जौकी पम्प तथा बेसमेंट में कम्पार्टमेंट के लिए 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का वाटर कर्टेन पम्प प्राविधानित है।
- 3-टैरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0, का टैरिस टैंक स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 5-होजरील:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 6-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में वेटराइजर एवं फायर सर्विस इन्लेट एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 7-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन रिंग लाइन उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 8-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 9-मैन्युवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- समस्त टावरों में मैन्युवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 10-आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना वाँछनीय है।
- 12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- प्रस्तावित भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 के अनुसार प्राविधान किया जाना प्राविधानित है।
- 13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 14-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 15-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 16-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5, सी-6, सी-7, सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
- 17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा स्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ ड्रवट से सुरक्षित करते हुये जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य/अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर की संस्तुति आख्याओं के आधार पर मैसर्स प्रोसपर ब्यूल्डटेक प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04बी0, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त किया जायेगा।

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। तथा इस निर्देश के साथ की विलम्बत 24 घण्टे में फायर सर्विस की बेवसाइट पर अपलोड कर तथा आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-अग्निशमन अधिकारी इकोटेक-3, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स प्रोसपर ब्यूल्डटेक प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04बी0, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।

(संयुक्त निदेशक फायर सर्विस, मेरठ)

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर सर्विस

उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक: ~~उप्र-30~~ जे0डी0/फा0स0/मेरठ-16(ईको03)/246

दिनांक: 3-8-2016

सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स प्रोसपर ब्लूडटेक प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04बी0, सेक्टर-10, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2016/23071/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5532/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध करवाते हुए प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03 ग्रेटर नोएडा से कराया गया तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांक: 25-07-2016 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई प्रस्तुत आख्याओं एवं अभिलेखों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- प्लॉट एरिया-20,240.00 वर्ग मी0 है। जिसमें प्रस्तावित आवासीय भवनों का एरिया विवरण निम्नवत है:-

क0स0	नाम टावर	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँची मी0।
1	टावर-ए0	02बेस0, स्टिल्ट/काम एवं 20	1296.433	350.530	65.450
2	टावर-बी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	403.396	316.828	70.600
3	टावर-सी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	376.042	292.340	70.600
4	टावर-डी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	403.396	316.828	70.600
5	टावर-ई0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	439.648	350.530	70.600
6	टावर-एफ	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	439.648	350.530	70.600
7	टावर-जी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	403.396	316.828	70.600
8	टावर-एच0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	376.042	292.340	70.600
9	टावर-आई0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	403.396	316.828	70.600
10	टावर-जे0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 20	1296.433	350.530	65.450

बेसमेन्ट:-प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमें लोअर एवं अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-16,817.356 वर्ग मी0 प्रत्येक।

भवन का अधिभोग विवरण:-

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी0 का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मीटर एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का रसाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के बाह्य एवं आन्तरिक भाग में 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है जैसा कि मानचित्रों में दर्शाया गया है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 1.50 प्रत्येक तथा बेसमेन्ट में 02 अतिरिक्त रैप है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

11

संयुक्त निदेशक फायर सर्विस

2016

- 4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है, जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
 अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निर्माकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।
 1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता के दो अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
 2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प सहित 02 सैट मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।
 3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0,का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
 5-होजरील:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 6-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन में वेटराईजर एवं फायर सर्विस इन्लेट एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 7-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन रिंग लाइन उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 8-आटोमेटिक सिप्रंकलर, सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-समस्त टावरो में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
 10-आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना वॉच्छनीय है।
 12-स्मोक एक्सट्रैक्शन:-प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन एन0बी0सी0 के अनुसार प्राविधान किया जाना वॉच्छनीय है।
 13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 14-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 15-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
 16-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
 17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा स्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर मैसर्स प्रोसपर ब्यूल्डटेक प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04बी0, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
 संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस विभाग
 330300 लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी इकोटेक-3, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स प्रोसपर ब्यूल्डटेक प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04बी0, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।